उच्च न्यायालय ने 1965 के युद्ध की विधवा को 58 वर्ष बाद पेंशन प्रदान की

चर्चा में क्यों?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में **1965 के भारत-पाक युद्ध** में शहीद हुए एक सैनिक की 87 वर्षीय विधवा अंगूरी देवी को **पेंशन** लाभ प्रदान किया है।

- यह निर्णय न्याय और वित्तीय सहायता के लिये **58 वर्षों के संघर्ष** का अंत है।

मुख्य बिंदु

- अंगूरी देवी के पति निटेर पाल सिंह **राजपूत रेजिमेंट में सेवारत थे और 1965 के युद्ध** के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर एक माइन विस्फोट में शहीद हो गए थे।
  - अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें सेना से विशेष पारिवारिक पेंशन मिली।
- 1972 में सरकार ने 1947 से आगे के लिये पूर्वव्यापी प्रभाव से **"उदारीकृत पारिवारिक पेंशन" नीति शुरू की , जिसके तहत उच्च पेंशन प्रदान की गई।**
  - इस नीति में 1 फरवरी, 1972 से वित्तीय प्रभाव और बकाया शामिल थे।
- 1965 में उनके पति की मृत्यु के बावजूद, प्राधिकारियों ने यह पॉलिसी अंगूरी देवी पर लागू नहीं की।
- 31 **जनवरी, 2001** को एक नई नीति शुरू की गई, जिसका वित्तीय प्रभाव **1 जनवरी , 1996** से माना गया।
- इस नीति में **"उदारीकृत पारिवारिक पेंशन" शामिल थी,** लेकिन यह केवल 1 जनवरी, 1996 के बाद हुई **मृत्यु /विकलांगता पर ही लागू थी।**
- बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने **1996 की कट-ऑफ तिथि को रद्द कर दिया।**
  - हालाँकि, अंगूरी देवी के दावे को शुरू में **इसलिये अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि कट-ऑफ तिथियों में** उनका मामला शामिल नहीं था।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन कट-ऑफ तिथियों को रद्द करने के **निर्णय** के बावजूद, उनका दावा अनसुलझा ही रहा।
- वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद, **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT)** ने आंशिक राहत प्रदान की तथा उसके बकाये को उसके दाखिल करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया।
  - हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को निरस्त करते हुए कहा कि **वह वर्ष 2001 की नीति की प्रभावी तिथि से बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार रखती है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hc-grants-pension-to-1965-war-widow-after-58-years